शनिवार
नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2007

राजधानी ११
वर्ष 5 अंक 199
पृष्ठ : 20
मूल्य : तीन रुपये

अमर उजाला

• आगरा • बरेली • मेरठ • मुरादाबाद • कानपुर • देहरादून • इलाहाबाद • झांसी • चंडीगढ़ • वाराणसी • जालंधर • नई दिल्ली • नैनीताल • जम्मू • धर्मशाला • अलीगढ़ • गोरखपुर

हमारी भी तो सुनो : जंतर-मंतर पर घरेलू हिंसा कानून 2006 और दहेज एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते लोग।

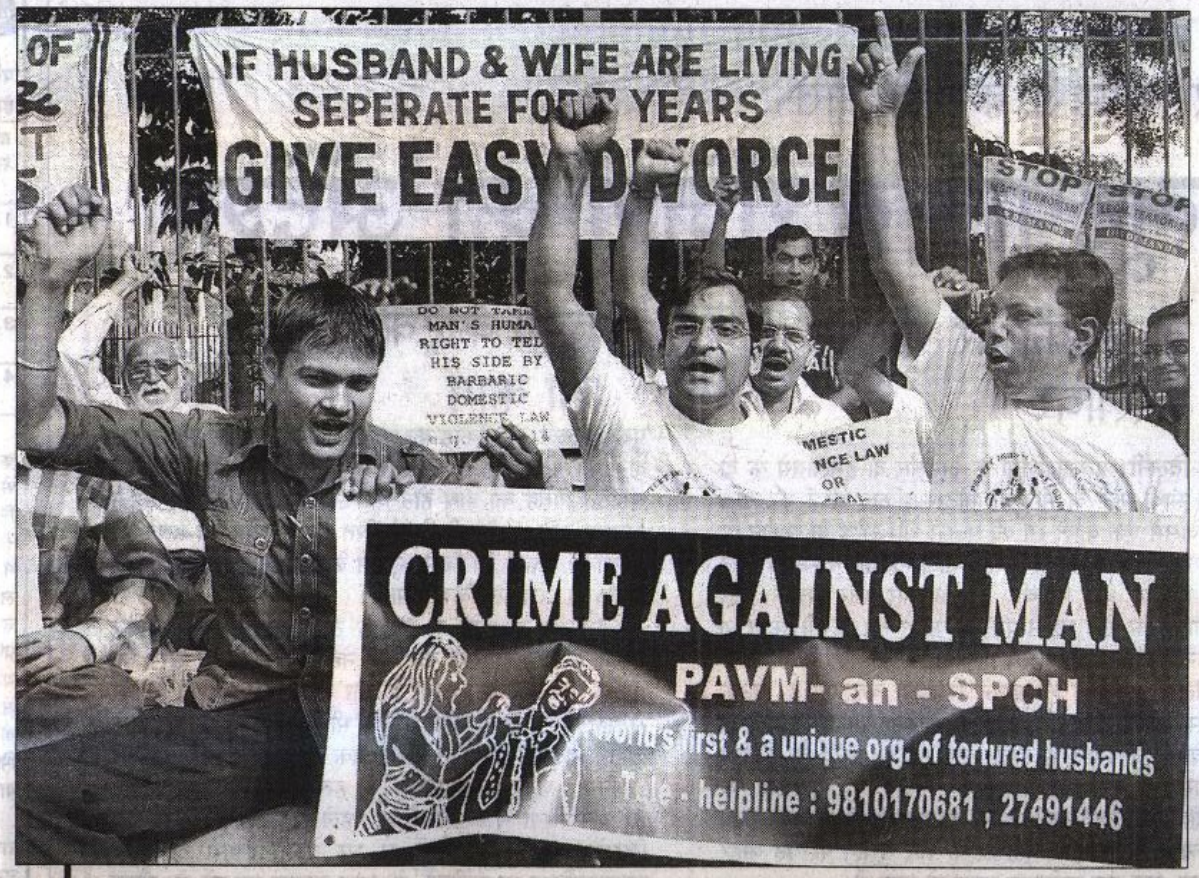

पीड़ित पतियों–परिजनों का प्रदर्शन

घरेलू हिंसा कानून की बरसी मनाई

नई दिल्ली। घरेलू हिंसा कानून का एक वर्ष पूरा होने पर 'मेन सेल' और 'सेव फैमिली फाउंडेशन एंड माई नेशन' के कार्यकर्ताओं ने 26 अक्तूबर को इसकी पहली बरसी मनाई। दहेज कानून 498 'ए' और घरेलू हिंसा कानून से प्रताड़ित केवल पति ही नहीं हैं, बल्कि उनकी माताएं, बहनें और भाभियां भी हैं। ये महिलाएं भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचीं। इनका कहना था कि इस कानून का इस्तेमाल कर नवविवाहिता पूरे परिवार को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। उसकी प्रताड़ना से पूरे परिवार का संबंध नहीं होता। कई बार वह केवल पति से ही प्रताड़ित होती है। सजा फिर भी निर्दोषों को मिलती है।

इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने आई रोहिणी निवासी मनोरमा अग्रवाल का कहना था कि इस कानून में किसी को अपना पक्ष रखने तक का समय नहीं दिया जाता है। 98 फीसदी मामलों में इस कानून का दुरुपयोग होता है। इसी कारण पुरुष औरतों से ज्यादा संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। महिलाएं इस कानून को ब्रह्मास्त्र समझती हैं। इससे महिला की अपनी तो किरकिरी होती ही है, साथ ही दूसरी महिलाओं, परिवार और सामाजिक ताने-बाने को भी नुकसान होता है।

विरोध के स्वर

कानून पर मैन सेल और अन्य संगठनों ने रखा अपना पक्ष

विरोध में पीड़ित माताएं, बहनें और भाभियां भी पहुंचीं

कहा–भारतीय परिवारों को तोड़ रहा है यह कानून